न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 08 / 2023

श्री बालूराम पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी गोलाहेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.06.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 आवटन आदेश दिंनाक 16.10.1977 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु लगाये गये प्रार्थना दि0 04.11.2022 कि प्रमाणित प्रति।

2 आवटन आदेश खसरा न0 3055 ग्राम टोडारायसिंह दिंनाक 16.10.1977 की सम्पूर्ण मिसल, सुपुदर्गीनामा सहित।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को पत्र कमांक 419 दिनांक 17.03.2023 व 430 दिनांक 04.04.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र कमांक RTI / 2023 / 3385 दिनांक 28.03.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 2361 दिनांक 07.02.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक